FEB-2009 11:44 05222238426 P.01

(308)

संख्या– 373 ई–2/तेरह–2009–115/2008

प्रेषक,

याद अली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक: 18 फरवरी, 2009

विषय:– वर्ष 2009–10 के लिये निर्धारित आबकारी नीति में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–320 ई–2/तेरह–2009–115/2008 दिनांक 11 फरवरी,2009 के अनुक्रम में प्रेषित कृपया अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–जी–163/दस–लाइसेन्स–367 (खण्ड–3) आबकारी नीति/2009–10 दिनांक 10 फरवरी, 2009 तथा पत्र संख्या– जी–170/दस–लाइसेन्स– 367 (खण्ड–3) आबकारी नीति/2009–10 दिनांक 18 फरवरी, 2009 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आबकारी नीति वर्ष 2009–10 में कतिपय संशोधन हेतु अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्रों में किये गये अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा वर्ष 2009–10 की आबकारी नीति निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या–320 ई–2/तेरह–2009–115/2008, दिनांक 11 फरवरी,2009 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

शासनादेश का प्रस्तर 5(1)(ख)

यदि एम0जी0क्यू0 के युक्ति–युक्त निर्धारण हेतु किसी दुकान के एम0जी0क्यू0 में 10 प्रतिशत से अधिक का विचलन करना अपरिहार्य हो, तो जनपद स्तर पर एम0जी0क्यू0 युक्ति–युक्त करते हुए उसके सम्बन्ध में यथावश्यकता पूर्वानुमोदन/कार्योत्तर स्वीकृति आबकारी आयुक्त से प्राप्त की जाए।

शासनादेश का प्रस्तर 8(1) एवं 9(1)

विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों की लाइसेन्स फीस नीति में अंकित प्रणाली अथवा वर्तमान लाइसेन्स फीस में, जो अधिक हो, उसे रखा जाए। प्रतिबन्ध यह होगा कि विदेशी मदिरा में किसी दुकान की अधिकतम लाइसेन्स फीस रू0 32 लाख से अधिक नहीं होगी।

शासनादेश का प्रस्तर 8(4) एवं 9(4)

नवसृजित विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की न्यूनतम लाइसेन्स फीस निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:-

(i) विदेशी मदिरा-

क्र0	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2008-09 में निर्धारित न्यूनतम लाइसेन्स फीस	वर्ष 2009-10 के लिये प्रस्तावित न्यूनतम लाइसेन्स फीस
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	6,29,000/-	6,40,000/-
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	2,10,200/-	2,15,000/-
3	नगर पंचायत	97,900/-	1,00,000/-
4	ग्रामीण क्षेत्र	47,400/-	50,000/-

(ii) बीयर:-

क्र0	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2008-09 में निर्धारित न्यूनतम लाइसेन्स फीस	वर्ष 2009-10 के लिये प्रस्तावित न्यूनतम लाइसेन्स फीस
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	1,52,200/-	1,60,000/-
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	76,200/-	80,000/-
3	नगर पंचायत	37,100/-	40,000/-
4.	ग्रामीण क्षेत्र	38,500/-	30,000/-

देशी मदिरा :-

नवसृजित देशी मदिरा दुकान के सम्बन्ध में गत वर्ष के निर्धारित न्यूनतम एम0जी0क्यू0 3000 बल्क लीटर को बढ़ाकर वर्ष 2009-10 के लिये निर्धारित न्यूनतम एम0जी0क्यू0 3500 बल्क लीटर किया जाए

शासनादेश का प्रस्तर 0(ग)

एफ0एल0–2 अनुज्ञापी जिस जनपद के लिये लाइसेन्स लेगा, उसी जनपद में विक्रय के लिये अधिकृत होगा, जब तक कि अन्य जनपदों में यथावश्यकता ब्राण्डों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति न दी जाए।

3– आबकारी नीति वर्ष 2009–10 के निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या–320 ई–2/तेरह–2009–115/2000, दिनांक 11 फरवरी,2009 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश में वर्णित अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(याद अली)
उप सचिव।

26059–26303

फैक्स/अत्यावश्यक/व्यवस्थापन–2009–10

संख्या /दस–लाइसेंस–367/खण्ड–3/सुझाव आबकारी नीति/2009–10/ दि0 19.02.2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, आबकारी विभाग, बापूभवन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उ0प्र0।
5. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
6. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन)/प्रभारी अधिकारी, आसवनियाँ/बाण्ड धारक, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

(रवीन्द्र सिंह)
अपर आबकारी आयुक्त, (प्रशासन),
उत्तर प्रदेश।